## न्यायालय: — द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, बालाघाट (म.प्र.) पीठासीन अधिकारी—सन्धिन ज्योतिषी

<u>व्य.वाद कं.- 62ए/2015</u> प्रस्तुति दिनांक 10.8.2015

1—प्रभुलाल पिता रतनलाल उम्र 52 साल 2—नंदलाल पिता रतनलाल उम्र 60 साल

3-चिंतामन पिता गलडू, उम्र - 40 साल

4-गनपत पिता गलडू उम्र 45 साल

5—छप्पनलाल पिता गलडू, उम्र 50 साल जाति लोधी, सभी निवासी ग्राम धापेवाड़ा

तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.).....

<u>आवेदकगृण / वादीगण</u>

#### <u>बनाम</u>

1—गोरेलाल, पिता नन्हू, उम्र— 40 साल, निवासी ग्राम धापेवाड्रा तहसील एवं जिला बालाघाट(म.प्र.)।

2—त्रेजलाल पिता बटन उम्र — 52 साल निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

3—सुखलाल पिता अन्नदी उम्र 72 साल, निवासी ग्राम रोशना तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

4—इन्द्राबाई पति राजकुमार(पिता गल्डू) उम्र 42 साल निवासी ग्राम बघोली, तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

5—श्रीमती चंद्राबाई पति देवीलाल(पिता गलडू) उम्र 36 साल निवासी ग्राम भरवेली(गाडीट्रोला), तहसील जिला बालाघाट(म.प्र.)

6—श्रीमती कलाबाई, विधवा गलडूउम्र 70 साल,निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील एवं जिला बालाघाट(म.प्र.)

7—रेखलाल प्रिता रतनलाल उम्र 65 साल निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.) 8—चंदूलाल पिता रतनताल उम्र 61 साल निवासी ग्राम धापेवाडा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

9—संतलाल पिता रतनलाल उम्र 50 साल निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

10—गुलाबत्तीबाई पति नान्हो(रतनलाल) उम्र **६**० साल, निवासी ग्राम मुरझड़, तहसील लालबर्री जिला बालाघाट(म.प्र.)

11—रामवंती पति हरिचंद(रतनलाल) हम्र 62 साल निवासी ग्राम मुरझड़ तहसील लालवरी जिला बालाघाट(म.प्र.)

12—शांतिलाल पिता बीघनलाल उम्र 57 साल निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.) 13—श्रीमती फूलीबाई विधवा भोला उम्र 72 साल निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

14—श्यामाबाई पति दशरू उम्र 63 साल निवासी ग्राम बगदरा तहसील व जिला बालाघाट(मृष्ट्र)

15—तीजूलाल पिता बीपतलाल उम्र 38 सील निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बाल्लाघाट(म.प्र.)

16—धीरज पिता बीपतलाल उम्र 35 साल निवासी ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

17—श्यामाबाई पति थानीलाल उम्र 40 साल निवासी ग्राम टवेझरी तहसील व जिला बालाघाट(म.प्र.)

18—मध्यप्रदेश शासून द्वारा कलेक्टर बालाघाट(म.प्र.)..........**अनावेदकगण्ण / प्रतिवादीगण** 

## <u>आदेश</u> आज दिनांक 14.09.2015 को पारित

1— इस आदेश के माध्यम से वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य०प्र०सं०(आई.ए.नंबर 1) का निराकरण किया जा रहा है।

- 2— वादी तथा प्रतिवादी के मध्य कर्दपत्र में दर्शित वंशावली अनुसार आपसी रिश्तेदारी होना तथा एक ही खानदान के हीना अविवादित है। अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य अविवादित नहीं है।
- 3— आवेदन का सार यह है कि उभयपक्ष के पूर्वजों की भूमि ग्राम धापेवाड़ा तहसील व जिला बालाघाट में स्थित है जिसे वादग्रस्त भूमि कहा गया है। उक्त वर्णित भूमि अधोलिखित है:—

खसरा नंबर 54 \$ 1 रकबा 0.370, खसरा नंबर 106 \$ 4 क \$ 1 \ रकबा 0.089, खसरा नंबर 106 \$ 5 रकबा 0.381, खसरा नंबर 161 \$ 1 161 \$ 2 रकबा 2.036, खसरा नंबर 168 \$ 2 रकबा 0.223, खसरा नंबर 169 \$ 1 रकबा 0.421, खसरा नंबर 171 \$ 1 रकबा 0.012, खसरा नंबर 171 \$ 2 रकबा 0.166, खसरा नंबर 199 \$ 1 रकबा 0.206, खसरा नंबर 199 \$ 2 रकबा 0.178, खसरा नंबर 232 \$ 1 रक्नबा 0.396, खसरा नंबर 240 \$ 1 रकबा 0.445, खसरा नंबर 241 \$ 1 रकबा 0.494, खसरा नंबर 243 रकबा 0.032, खसरा नंबर 244 रकबा 0.024, खसरा नंबर 252 \$ रक्नबा 0.231, खसरा नंबर 270 \$ 1 रकबा 0.360, खसरा नंबर 272 \$ 1 रकबा 0.660, खसरा नंबर 290 \$ 1 रकबा 0.312, खसरा नंबर 306 \$ 8 1 रकबा 0.029, खसरा नंबर 342 \$ 2 रकबा 0.450, खसरा नंबर 344 \$ 3 रकबा 0.364, खसरा नंबर 378 \$ 4 रकबा 0.271 हैक्ट0

4— उक्त भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 3 ने वादीगण को सूचना दिये बिना सांठगांठ कर नया बंटवारा कराया है और आवेदकगण के कब्जे की खसरा नंबर 378/4 व 169/1क भूमि में स्वयं का नाम दाजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ है तथा आपस में मौखिक बंटवारा कर उभयपक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ है तथा आपस में मौखिक बंटवारा कर उभयपक्ष अपने—अपने हिस्से की भूमि पर पृथक—पृथक काबिज होकर कृषि कर रहे हैं। दिनांक 10.6.2015 को अनावेदकगण ने ऋण पुस्तिका प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया तथा कब्जे के मान से अलग अलग नाम दर्ज कर ऋण पुस्तिका बनाने का आवेदन दिया और राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ कर पृथक ऋण पुस्तिका बनवा लिया है। प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 एवं 3 भूमि को विक्रय करने प्रयासरत

हैं। आवेदकगण ने जानकारी प्राप्त होने पर दस्तावेजों की नकल निकलवाया तब उन्हें ज्ञात हुआ कि दिनांक 21.7.2015 को किया गया बंटवारा अवैध, झूठे हस्ताक्षर प्राप्त कर कोरे कागज में हस्ताक्षर लेकर सहमित पत्र के आधार पर कराया गया है और नामांतरण पंजी कमांक 16 में रिजस्ट्री करवाकर अवैध बंटवारा करा लिया गया है। दिनांक 23.6.2015 का उक्त बंटवारा आदेश अवैध है, उसे शून्य घोषित किया जावे। उभयपक्ष के मध्य 40–50 वर्षों से आवसी सहमित से मौखिक बंटवारा हो चुका है। उसी पर आधारित कर बंटवारा घोषित किया जाना था, किंतु राजस्व अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। प्रतिवादीगण ने कीमती भूमि स्वयं रख ली और कम मूल्य की भूमि आवेदकगण को प्राप्त होना बताया गया है। राजस्व अधिकारियों ने शामिल शरीक भूमि खसरा नंबर 342/2ज एवं 344/3, 4 दोनों का रकबा 0.203 हेक्टेयर का बंटवारा न कर प्रतिवादी शांतिलाल के नाम पर दर्ज कर दिया और भूमि खसरा नंबर 378/4 रकबा 0.271 हेक्टेयर जो वादी की पैतृक भूमि थी, पर प्रतिवादी कमांक 2 तेजलाल के हिस्से में दे दिया, लो अवैध है।

- 5— प्रतिवादी तेजलाल उक्त भूमि को धनसिंह के हक में बिकी करने प्रयासरत है क्योंकि वह पूर्व में सौदा कर चुका है।इसी प्रकार खसरा नंबर 169/1क रकबा 0.089 हेक्टेयर प्रतिवादी कमांक 1 एवं 3 की है, राजा सीमेंट वाले को विकय करने प्रयासरत है। जबिक उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा एवं स्वामित्व है। यदि विकय हो जाता है तो केता वादीगण को बल के प्रभाव से बेदखल कर देंगे जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।अतः वाद लंबने काल में वादपत्र का निष्पादन रोका जावे। संपत्ति के विकय से वादी बाहुल्यवा होगी। जबिक प्रतिवादीगण को कोई असुविधा नहीं होगी। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। अतः प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त संपत्ति को विकय करने से रोके जाने हेतु आदेश पारित किया जावे।
- प्रतिवादी क्रमांक अर्प व 2 की ओर से उक्त आवेदन को कंडिकावार अस्वीकार करते हुए प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है जिसका सार यह है कि, पूर्वज़ों के समय से की गई व्यवस्था चलें रही थी किंतू प्रतिवादी शांतिलाल एवं रतनलाल द्वारा सुखवंतीबाई पति सुखलाल एवं सुखलाल पिता फेकन को खसरा नंबर 378 / 4 के रकबा 1.34 एकड में से 0.67 डिसमिल भूमि दिनांक 5.1.2000 को विकृष कर दिया जबिक अन्य खात्रेदारों के नाम भी सम्मिलित थे, फिर भी किसी से सहमित नहीं ली गई। इसके बुद्ध सभी खातेदारों ने खसरा नंबर 169/1 में से 0,052 हेक्टेयर भूमि दिनांक 14.5.2012 को शंकर रंगलानी को विकय कर दी जिसकी रकम शांतिलाल ने प्राप्त किया था। बार बार विवाद उत्पन्न करने के कारण तहसीलदार के समक्ष बंटवारा हेतु आवेदन दिया गया। खसरा नंबर 378 / 4 में से 0.66 हिसमिल भूमि वादी छप्पन के पिता ने दिनांक 10.11.1984 को गुहदड़ को विकय किया है। बंटवारा हेत् तहसील दार ने पटवारी को ज्ञापन प्रेषित किया था जिसके द्वारा वादपत्र की कंडिंका 3 में दर्शित भृमि का बंटवारा हुआ है। सभी को बंटवारा कार्यवाही के नोटिस प्रेषित हुए थे। मौके पर पटवारी ने नाप करके कब्जे के अनुसार भूमि अलग किया था। इसके बाद सभी खातेदारों को भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त हुई है। प्रतिवादी क्रमांक 3 के कब्जे की भूमि वह पहले ही बिकी कर चुका है।
- 7— प्रतिवादी तेजलाल ने खसरा नंबर 370/4 की भूमि धनसिंह को बेचने बाबत सौदा किया है क्योंिक यह भूमि उसे प्राप्त हुई है और वह पूर्व से इसमें काबिज था। इसी प्रकार खसरा नंबर 169/1क गोरेलाल ने बिकी करने का सौदा किया था जिस पर सभी सहमत थे किनु बाद में वादी छप्पन लाल और प्रभूलाल के दिल में खोट आ गया तब उन्होंने प्रतिवादीगण से कपट संधि कर यह वाद प्रस्तुत किया है जिसके कारण विकय नहीं हो पायेगा। प्रतिवादी स्वयं के हिस्से की भूमि को पारिवारिक

आवश्यकता के कारण विक्रय करने का अधिकार रखता है। उसे प्रतिबंधित किये जाने से क्षति होगी और अनेक परेशानियों में उलझना पड़िया। वादी ने जो विवादित भूमि बताया है उस समय गलडू और राघन ने दिनांक 18.10.84 को 0.66 डिसमिल भूमि ग्हदड़ को बिकी किया था जिसके बारे में पदिपत्र में कोई कथन नहीं है। इसी तरह शांतिलाल ने भी भूमि विक्रय किया है और सभी खातेदारों ने भी भूमि विक्रय की है जिनकी राशि प्रतिवादी क्रमांक 12 शांतिलाल ने रखा है। इस तथ्य को वादपत्र में छ्पाया गया है। पूर्व विक्रय के संबंध में भी तथ्यों को उठाया गया है। वादीगण ने अन्य प्रतिवादीगण के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से वाद पेश किया है और मात्र दो खसरे नंबरों को विवादित दशीया है। जबकि तहसील न्यायालय से विवादित सभी खसरा नंबरों का बंटवारा किया गया है। लिखित कथन में बंटवारा के अनुसार प्राप्त हुई भूमि का विवरण भी दिया गया है और यह यह बताया गया है कि बंटवारा करते समय सभी की उपस्थिति में पटवारी ने बंधी का नाप किया था, नज़री नक्शा बनाया था। नाप के समुश्र पंचनामा में परिवार के मुखिया के नाते शांतिलाल, छप्पनलाल, गोरेलाल, तेजलाल, प्रभूलाल, रेखलाल के पुत्र पवन नगपुरे(खातेदारी) ने हस्ताक्षर किये थे क्योंकि रेख़िलाल और सुखलाल लकवे से पीड़ित थे।संशोधन पंजी में सभी खातेदारों ने हस्ताक्षर किये हैं। इसके बाद भी झूठे तथ्यों पर बाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगृश्री, प्रतिवादी कमांक 1 से 3 को परेशान करना चाहते हैं।

बंदवारे में आई भूमि व राजस्व अभिलेखीं में इन्द्राज खसरा नंबर अनुसार प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से में काबिज है। खसरा नंबर 378/4 रकबा 0.271 में प्रतिवादी कमांक 1 व 2 और खसरा नंबर 169/1 क रकबा0.089 में प्रतिवादी कमांक 1 का कब्जा है। प्रतिवादी सुखलाल पूर्व में ही अपने हिस्से के मान से बंदवारे में शामिल नहीं है किंतु उसे भी जान बूझकर पक्षकार बनाया गया है। प्रस्तुत वाद एवं आवेदन पोषणीय नहीं है। यदि अस्थाई निषधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रतिवादी कमांक 1 व 2 को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अब्रेदन निरस्त किया जावे।

9— प्रतिवादी क्रमांक 3, 6,8 एवं 17 की ओर से उक्त आवेदन को कंडिकावार स्वीकार किया गया है तथा अपने विशिष्ट कथन में बताया है कि रेमन नगपुर एवं संतलाल नगपुरे निवासी ग्राम धापेवाड़ा द्वारा राजस्व अधिकारी को एक आवेदन बंटवारा के पश्चात दिया गया है जिसमें जांच का आदेश पारित किया गया है और रा.नि.मं. बालाघाट द्वारा ब्रिनांक 18.08.2015 को जांच पंचनामा तैयार किया गया जिसमें मौके के अनुसार एवं आपसी सहमति अनुसार विभाजन नहीं हुआ है विभाजन त्रुटिपूर्ण होने से आपसी सहमति से किया गया विभाजन निरस्त कर पुनः सूर्य सिरे से विभाजन किया जाना आवश्यक है। खातेदारों को जमीन पूर्व बंटवारा में हिस्से में मिली थी उस जमीन में से सुखलाल और गोरेलाल ने नंदलाल और प्रभुलाल को अपने हिस्से की एक एकड़ जमीन बेच दिया है जिसमें सभी खातेदार सहमत है यह जमीन अन्य खातेदारों के खाते से नहीं काटी गई तथा सुखलाल के खाते से काटकर गोरेलाल के खाते में चढ़ा दी गई है इस तरह प.ह.नं.11 में अनो.क.1,2,3 को छोड़कर मौके पर किसी को भी नहीं बुलाया गया है और न ही उन्हें अवगत कराया गया। यह कार्य तैनात पटवारी ह.नं.11 जिसका टासर्फर प.ह.नं.12 में हो गया है से मेल करने गलत बंटवारा किया।

- 10— <u>आवेदन के सम्यक निम्नकरण के लिए निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है</u>:-
- (1)— क्या प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है ?
- (2)— क्या अस्थाई निषेधांज्ञा जारी न किये जाने से वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी ?
- (3)— क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?

# विचारणीय प्रश्न कमांक 1 की विवेचना एवं निष्कर्ष –

- 11— विवादित भूमि पर उभयपक्ष न्ने अपना—अपना कब्जा होना बताया है। उभयपक्ष की ओर से अपने—अपने पक्षम्मर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। वादीगण की ओर से नामांतरण पंजी वर्ष 2015 में नामांतरण नंबर 16 दिनांक 10.6. 2015 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।
- 12— उक्त दस्तावेज के परिशीलन से प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि तत्समय उभयपक्ष, अपने—अपने कब्जे के अनुसार दस्तावेजों में बंटवारा कर संशोधन करने हेतु सहमत हुए थे और जैसा कि, उक्त दस्तावेज से दर्शित है, उसके अनुसार उस समय खसरा नंबर 378/4 पर प्रतिवादी तेजलाल का तथा खसरा नंबर 169/1क पर प्रतिवादी कमांक—1 गोरेलाल का आधिपत्य वादीगण ने भी स्वीकार किया है। यद्य पि वादीगण ने उक्त नामांतरण के संबंध में की गई समस्त कार्यवाही को कपटपूर्वक राजस्व अधिकारियों से मिलकर करना बताया है किंतु प्रथम दृष्ट्या अवलोकनीय है कि उक्त नामांतरण पंजी में सभी वादीगण के भी हस्ताक्षर हैं और किसी प्रकार के दबाव पूर्वक हस्ताक्षर करवाये जाने के संबंध में प्रथम दृष्ट्या इस स्तर पर कोई साक्ष्य नहीं है।
- 13— उक्त कार्यवाही प्रथम दृष्टया मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के अंतर्गत की गई सम्यक कार्यवाही होना दृशित है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114ई के प्रभाव से प्रथम दृष्टिया यह उपधारणा निर्मित होती है कि उक्त कार्यवाही तहसीलदार द्वारा सम्यक अनुक्रम में की गई है जिसकी वादीगण को प्रारंभ से ही जानकारी रही है। ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व कार्यवाही में कथित तौर पर किया गया कपट, कार्यवाही की अनियमितता तथा अवैधानिकता भले ही प्रकरण में साक्ष्यगत गुणावगुण का विषय हो सकती है किंतु प्रथम दृष्टिया उक्त कार्यवाही की सम्यक प्रक्रिया पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है।
- 14— वादीगण ने पूर्व बंटवारे को मुख्यतः इन आधारों पर अवैध बताया है कि उक्त बंटवारे की उन्हें सूचना नहीं थी तथा प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर सांवगांठ कर दस्तावेज बनाकर बंटवारा किया है। साथ ही यह आधार लिया गया है कि विवादित भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है किंतु अवलोकनीय है कि संशोधन पंजी में स्वयं के दर्शित हस्ताक्षरों को इस स्तर पर वादीगण द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है और बंटवारा की कार्यवाही प्रथम दृष्ट्या सम्यक रूप से की गई होना उपरोक्त विवेचना में पाया गया है। साथ ही भूमि खसरा नंबर 378/4 तथा 169/1क में कमशः प्रतिवादी तेजलाल का कब्जा होना प्रथमदृष्ट्या पाया गया है। ऐसी स्थिति में स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में वादी का प्रथम दृष्ट्या कब्जा प्रमाणित न होने से, वाद प्रथम दृष्ट्या वादीगण के पक्ष में नहीं है।

#### विचारणीय प्रश्न कमांक 2 व 3 की विवेचना एवं निष्कर्ष

15— अपूर्णीय क्षति के संबंध में वादीगण के यह कथन हैं कि यदि विक्रय कर दिया जाता है तो खरीददार उन्हें बै—दखल करेंगे और वाद बाहुल्यता बढ़ेगी किंतु विचारणीय प्रश्न कमांक 1 के विवेचन के अंतर्गत प्रथम दृष्ट्या भूमि खसरा नंबर 378/4 तथा 169/1क में वादीगण का आधिपत्य नहीं होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में बे—दखली की संभावना के संबंध में किये गये कथन प्रथम दृष्ट्या वास्तविक प्रकट नहीं होते हैं। इसी प्रकार कथित तौर पर संभावित विक्रय के विरुध्द वादीगण

को संपित्ति अंतरण अधिनियम 1881 की धारा 52 का संरक्षण प्राप्त होगा और पृथक से वाद प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं होगी। अस्तु इस आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से भी वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति संभावित नहीं होगी।

16— यदि वाद लंबन काल में बास्तव में विवादित भूमि का विक्रय कर दिया जाता है तो वादीगण को केता के विरुध्द भी कार्यवाही करना होगा जिससे प्रकरण में वादीगण को असुविधा एवं विलंब कारित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत प्रतिक्रदीगण ने विक्रय की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं बताई है। अतः संभावित विक्रय रोक दिये जाने से प्रतिवादीगण को वादीगण की अपेक्षाकृत असुविधा नहीं होगी।अस्तु सुविधा के संतुलन का बिंदु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया वादीगण के पक्ष में है।

17— अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के लिए प्रश्नमदृष्टया प्रकरण, अपूर्णनीय क्षति तथा सुविधा का संतुलन के तीनों ही बिंदु आबेदक के पक्ष में होना आवश्यक होता है किन्तु वर्तमान प्रकरण में प्रथमदृष्टया प्रकरण तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया वादीगण के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता(आई.ए.नंबर 1) निरस्त किया जाता है।

18— इस आदेश का प्रकरण के अंतिम निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर, खुले न्यायालय में पारित किया गया

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(सचिन ज्योतिषी) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बालाघाट(म.प्र.)

(सचिन ज्योतिषी)
| हितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
| बालाघाट(म.प्र.)